



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277268
CG-DL-E-17102026-277268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630]
No.630]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2026

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1622).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1494) दिनांक 23 मार्च 2026 (प्रकाशित दिनांक 27 मार्च 2026)

अनुसूची के क्रम संख्या 04, कॉलम (5) में — '20 सितंबर 2026' को '20 मार्च 2027' से प्रतिस्थापित करें।

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./399/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 6th October, 2026

Ref: HQ-PUB-BIS (1622).— Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1494) dated 23 March 2026 (Published on 27 March 2026)

Sl No. 04, column (5) of schedule — Substitute '20 March 2027' for '20 September 2026'.

S. K. VERMA, Scientist F & DDG (Hallmarking)

[ADVT.-III/4/Exty./399/2026-27]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277267
CG-DL-E-17102026-277267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]
No.629]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2026

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1621).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) **संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1494) दिनांक 23 मार्च 2026 (प्रकाशित दिनांक 27 मार्च 2026)**

अनुसूची के क्रम संख्या 10, कॉलम (5) में — '20 सितंबर 2026' को '27 फरवरी 2028' से प्रतिस्थापित करें।

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./398/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 6th October, 2026

Ref: HQ-PUB-BIS (1621).— Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1494) dated 23 March 2026 (Published on 27 March 2026)

Sl No. 10, column (5) of schedule — Substitute '27 February 2028' for '20 September 2026'.

S. K. VERMA, Scientist F & DDG (Hallmarking)

[ADVT.-III/4/Exty./398/2026-27]